

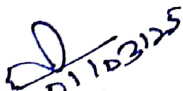
न्यायालय अपर समाहर्ता, पाकुड़

आर० एम० पी० वाद सं०-33/2011-12

(70/2002)

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़-बनाम-ओटन दास एण्ड कम्पनी

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03
	यह वाद विद्वान उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय आर०एम०पी० वाद सं०-70/2002 में दिनांक-30.12.2011 को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत वाद पाकुड़ अंचल के मौजा-खपड़ाजोला के जमाबन्दी सं०-28/31, दाग सं०-311 अंतर्गत रकवा-02बी०-05क०-15धूर भूमि का विपक्षी ओटन दास एण्ड कम्पनी, पाकुड़ के नाम अवैध रूप से राजस्व पंजी-11 में सृजित जमाबन्दी के विलोपन से संबंधित है। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्था० रा० वि० वाद सं०-84/98-99 में दिनांक-24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमाबन्दी को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है। संबंधित पक्षकार को अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी/उत्तराधिकारी उपस्थित एवं उनके द्वारा अपना कारणपृच्छा दाखिल किया गया। दाखिल कारणपृच्छा के अनुसार प्रश्नगत भूमि बसौड़ी के रूप में रेकॉर्डेड है एवं तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा अस्थाई बन्दोवस्ती विपक्षी के साथ की गयी थी एवं लगान निर्धारण भी किया गया था। जिसके आधार पर विपक्षी के नाम से पंजी-11 में जमाबन्दी सृजित की गयी। उक्त आदेश के विरुद्ध कभी कोई अपील/रिविजन दाखिल नहीं किया गया। अतः जमाबन्दी रद्द करने संबंधी यह वाद अवैध एवं अनुचित है। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अभिलेख में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के बन्दोवस्ती वाद सं०-01/1987-88 में दिनांक-25.08.1987 को पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न है। जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि की अस्थाई रूप से बन्दोवस्ती तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा की गयी थी। SPT Act 1949 में भूमि की बन्दोवस्ती करने संबंधी प्रावधान धारा-27 एवं 28 में दी गयी है। उक्त अधिनियम में अस्थाई रूप से सरकारी भूमि की बन्दोवस्ती किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त बन्दोवस्ती वाद में विपक्षी के पता के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विपक्षी प्रश्नगत मौजा के जमाबन्दी रैयत भी नहीं है। स्पष्टतः उक्त बन्दोवस्ती क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करते हुए की गयी थी एवं इस आधार पर पंजी-11 में सृजित जमाबन्दी नियम विरुद्ध एवं अवैध है। जिसका सरकार के पक्ष में विलोपन किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी ओटन दास एण्ड कम्पनी, पाकुड़ के नाम से राजस्व पंजी-11 में सृजित जमाबन्दी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रश्नगत अवैध जमाबन्दी को विलोपित करते हुए उसे सरकारी कब्जे में ले लें एवं तदसंबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित संशोधित।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।	